क्रमांक 856-1 जी0 एस0-I-73/6246

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त और हरियाणा के सभी उप मण्डल अधिकारी।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश।

दिनांक, चण्डीगढ़ 7 मार्च, 1973।

विषय : हरियाणा लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत किये गये मांग पत्र।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप को संबोधित करते हुए यह कहूं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1971-72 की अपना वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित अवलोचनाएं की हैं :-

(1) मांग पत्रों में त्रुटियां थीं और इन त्रुटियों को दूर करने के लिए नियुक्ति अधिकारियों को कई पत्र लिखने पड़े।

(2) कई विभाग विभागीय उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों को आयोग के कार्यालय में उन द्वारा निश्चित की गई पावती की अन्तिम तिथि से पूर्व भेजने में असफल रहे जिसके फलस्वरूप विभागीय उम्मीदवार प्रवरण (सिलैक्शन) के अवसर से वंचित रहे।

2. हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अपनी 1968-69 तथा 1970-71 की वार्षिक रिपोर्टों में भी इसी प्रकार की अवलोचनाएं की थीं और पत्र क्रमांक 6317-1 जी0 एस0-70/21913, दिनांक 20-8-70 तथा पत्र क्रमांक 126-1 जी0 एस0-I-72/963, दिनांक 17-1-72 द्वारा निम्नलिखित हिदायतें जारी की गई थीं :-

(1) "....आयोग को भेजे जाने वाले मांग पत्र भली भांती और पूर्ण रूप से भरे जाने चाहिएं। यह जरूरी है कि आयोग की observations को ध्यान में रखा जाए और सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों का कठोरता से पालन किया जाए ताकि पदों की भर्ती में जो देरी आयोग द्वारा बार-बार पत्र व्यवहार करने में होती है उसे आगे के लिए समाप्त किया जा सके।

(2) यह अतीव चिन्ता की बात है कि विभागीय उम्मीदवारों के आवेदन पत्र विभागों द्वारा ठीक समय पर न भेजे जाने के कारण उन्हें हानि हो। विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत तौर पर ये सुनिचित करें कि उपयुक्त विभागीय उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आयोग द्वारा नियत अन्तिम प्राप्ती तिथि से पूर्व लोक सेवा आयोग को समय पर भेजे दिए जाएं। यह विभागीय उम्मीदवारों के हितों तथा पदों के उचित चयन के लिए जरूरी है।

3. लोक सेवा आयोग ने अपनी 1971-72 की वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 26 (प्रति संलग्न है) द्वारा यह भी ध्यान में लाया है कि विभाग जब कर्मचारियों की पदोन्नती के सम्बन्ध उनकी उपयुक्ता निर्धारण करवाने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं तो वह प्रस्ताव प्राय: अधूरे होते हैं और इस मामले से संबधित हिदायतों का पूर्णरूप से पालन नहीं कया जाता है और प्रस्तावों

निपटारे में परिहार्य देर हो जाती है । यह मामला 1970–71 की वार्षिक रिपोर्ट में भी उठाया गया था जिस के परिणाम-स्वरूप सरकार ने परिपत्र क्रमांक 126–1 जी0 एस0 I–72/963 दिनांक 17-1-72 द्वारा सभी विभागाध्यक्षों आदि को यह हिदायतें जारी की थी कि ध्यान पूर्वक सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस प्रकार की त्रुटियां पुनः न हों । लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रकार की आपत्ति को दोहराये जाने का स्पस्ट अर्थ यह है कि ऐसी त्रुटियां अब भी होती हैं जिनको रोका नहीं जा रहा है।

4. सरकार ने गम्भीरता से नोट किया है कि सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः अनुरोध किया जाता है कि विशेष सावधानी से इन अनुदेशों का पालन किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां न हों और लोक सेवा आयोग के पास इस बारे में आपत्ति उठाने का कोई आधार न रहे ।

5. यह अनुरोध किया जाता है कि इस पत्र की पावती भेजी जाएं।

भवदीय
हस्ता/–
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को भेजी जाती है।

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा
2. सभी प्रशाकीय सचिव हरियाणा सरकार।

हस्ता/-
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा: क्रमांक 856–1 जी0 एस0–I–73, दिनांक, चण्डीगढ़ 7 मार्च, 1973